रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 106] नई दिल्ली, शनिवार, जून 7, 1975/ज्येष्ठ 17, 1897

No. 106] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7, 1975/JYAISTHA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi the 7th June 1975

SUBJECT.—*Transfer of imported raw materials/components by Public Sector Industrial Undertakings.*

No. 44-ITC(PN)/75.—Attention is invited to paragraph 196 in Chapter VII of the Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1975-76 according to which industrial units in the public sector (multi-unit enterprises) may transfer imported raw materials/components from one industrial unit to another in the same multi-unit organisation, in order to meet their production programmes. Such transfers are subject to the condition that the raw materials & components, in question, shall be used by the transferee unit for production in an industry included in the select list of industries or for production in an export-oriented industry. It is also a condition that the unit which transfers such imported raw materials and components should send immediate report of such transfer to the licensing authority which had issued the licence against which the said materials were imported. The report has to reach the licensing authority within 15 days from the date of transfer. It is not necessary for the units concerned to obtain prior permission from the licensing authority for making such transfers.

2. The position in this regard has been reviewed and it has been decided that an industrial undertaking in the public sector can also transfer imported raw materials/components to any other industrial undertaking in the public sector provided that the materials, in question, shall be used by the transferee for production in an industry included in the select list of industries or for production in an export-oriented industry. In such cases also, no prior permission of the licensing authority will be necessary and the unit which transfers the materials shall be required to send a report thereof to the licensing authority in the same manner as referred to above.

3. Requests from public sector undertakings for sale of imported materials in cases not covered by the aforesaid provisions may be considered liberelly on merits by the Chief Controller of Imports & Exports as already provided in paragraph 94(10) of the Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1975-76.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 जून, 1975

विषय.—सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक संस्थानों द्वारा आयातित कच्चे माल/संघटकों का **हस्तान्तरण**।

सं० 44-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, 1975–76 के अध्याय 8 के पैरा 196 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक एकक (बहु-एकक उद्यम) अपने उत्पादन कार्यक्रम को पूरा करने के लिये एक ही बहु-एकक संगठन में एक औद्योगिक एकक से दूसरे औद्योगिक एकक को आयातित कच्चे माल/संघटनों को हस्तान्तरित कर सकते हैं। ऐसे हस्तान्तरण इस शर्त के अधीन है की विषयाधीन कच्चे माल तथा संघटक हस्तान्तरण प्रापक एकक द्वारा उद्योगों की प्रवरण सूची में शामिल किये गये एक उद्योग में उत्पादन के लिये या एक निर्यात अभिमुख उद्योग में उत्पादन के लिये उपयोग किये जायेंगे। यह भी एक शर्त है कि जो एकक ऐसे आयातित कच्चे माल और संघटकों को हस्तान्तरित करता है उसे उस लाइसेंस प्राधिकारी को ऐसे हस्तान्तरण की तुरन्त सूचना भेजनी चाहिये जिसने वह लाइसेंस जारी किया था जिसके आधार पर उक्त माल का आयात किया गया था। हस्तान्तरण करने की तिथि से सूचना 15 के दिनों के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को पहुंच जानी है। सम्बद्ध एककों के लिये यह आवश्यक नहीं कि वे ऐसे हस्तान्तरण करने के लिये लाइसेंस प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करें।

2. इस संबंध में स्थिति की पुनरीक्षा की गई है और यह निणय किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक औद्योगिक संस्थान भी आयातित कच्चे माल/संघटकों को सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य औद्योगिक संस्थान को हस्तान्तरित कर सकता है बशर्ते कि हस्तान्तरण-प्रापक द्वारा विषयाधीन माल का उपयोग उद्योगों की प्रवरण सूची में शामिल किये गये किसी उद्योग में उत्पादन के लिये या किसी

निर्यात अभिमुख उद्योग में उत्पादन के लिये किया जाय। ऐसे मामलों में भी लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी और जो व्यक्ति हस्तान्तरण करेगा उसे हस्तान्तरण की सूचना ऊपर संदर्भित तरीके से लाइसेंस प्राधिकारी को भेजनी होगी।

3. पूर्वोक्त उपबंधों में न आने वाले मामलों में आयातित माल की बिक्री के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से प्राप्त आवेदनों पर मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा पात्रता के आधार पर, उदारता पूर्वक विचार किया जायगा जैसा कि आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक 1975–76 के पैरा 94 (10) में पहले ही दिया गया है।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975